

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकरण क्रमांक : 12/2020

आवेदक : हिरेंद्र रावू अ/स रॉयल डेवलापर्स

प्रकरण दर्ज दिनांक

CGRERA-P-Exc.m-PRO-2019-00939

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

27/11/21

आवेदक द्वारा श्री योगेश महोबिया अधिवक्ता।
अनावेदक एकपक्षीय।

प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत
है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.06.2020 को आदेश पारित कर अनावेदक को Rs. 8,55,529 (आठ लाख पचपन हजार पांच सौ उनतीस रु. मात्र) दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु यह निष्पादन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक ने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा- 40(1) छ. ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017. के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

27/11/20


छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 12/2020

आवेदक : हिरेंद्र साहू vs राज्य सरकार

प्रकरण दर्ज दिनांक

CGRERA-P-Exc.m-PRO-2019-00939

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>अतः Rs. 8,55,529 (आठ लाख पचपन हजार पांच सौ उनतीस रु. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदय को प्रेषित की जावे।</p> <p>प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।</p> <p style="text-align: center;"> न्याय निर्णायक अधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर</p>	